Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

F.No.C-26011/02/2019-Admn.(P) 146 the 02nd July, 2019

OFFICE ORDER

In compliance to the directions issued by the MoEF&CC regarding adoption of guidelines framed by the Department of Telecommunications (DoT) to grant instant compensation to the families of the victims dying at public places due to the negligence and/or unforeseen causes, the guidelines framed in this regard are enclosed. These guidelines are also available on the website of CPCB. A Committee has been constituted for scrutiny of the claims, comprising of the following members;

(a) Shri Anand Kumar, Sc. E	– Chairman
(b) Shri R.D. Pandey, Sr. AO	– Member
(c) Smt. Anamika Sagar, Sc. D	– Member
(d) G.S., Employees Union	– Member
(e) Shri Virendra Bansal, ACO-II	– Member
(f) Shri Ashok Kashyap, AO	– Member Convener

02. Shri Ashok Kashyap, Administrative Officer and Member Convener is hereby designated for the purpose of receiving claims for compensation.

03. The Chairman, Central Pollution Control Board will be the Competent Authority to grant compensation under these guidelines.

04. This issues with the approval of the Chairman, Central Pollution Control Board.

(R.D. Pandey)
Senior Administrative officer

Encl. as above

Distribution: -

1. All concerned Officers (Serial No. _____)
2. All the Regional Directorates of CPCB
3. All notice Board at Parivesh Bhawan
4. D.H. I.T. Division : for uploading on intra portal for information of all the employees.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली – 110032

फ.सं.-सी-26011/02/2019-प्रशा.(का.) 146 दिनांक: 02 जुलाई, 2019

कार्यालय आदेश

दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा तैयार किए दिशा-निदेशों के अभिग्रहण के संबंध में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में, असावधानी और/या अप्रत्याशित कारणों से सार्वजनिक स्थानों पर मरने वाले पीड़ितों के परिवारों को तत्काल मुआवजा देने के संबंध में तैयार किए गए दिशा-निदेश संलग्न हैं। ये दिशा-निदेश के.प्र.नि.बोर्ड की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। दावों की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं;

(i)	श्री आनंद कुमार, वैज्ञानिक 'ई'	- अध्यक्ष
(ii)	श्री आर डी पांडे, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य
(iii)	श्रीमती अनामिका सागर, वैज्ञानिक 'डी'	- सदस्य
(iv)	महासचिव, कर्मचारी संघ	- सदस्य
(v)	श्री वीरेन्द्र बंसल, लेखा-II	- सदस्य
(vi)	श्री अशोक कश्यप, प्रशासनिक अधिकारी	- सदस्य संयोजक

02. श्री अशोक कश्यप, प्रशासनिक अधिकारी और सदस्य संयोजक को मुआवजे के लिए दावे प्राप्त करने के उद्देश्य से एतद्वारा निर्दिष्ट किया गया है।

03. अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन दिशा-निदेशों के अंतर्गत मुआवज़ा देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

04. यह अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनुमोदन से जारी किया गया है।

(आर.डी पांडे)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

संलग्नक: यथोपरि

वितरण: -

1 सभी संबंधित अधिकारी (क्रम संख्या ____)
2 के.प्र.नि.बोर्ड के सभी क्षेत्रीय निदेशालय
3 परिवेश भवन के सभी नोटिस बोर्ड
4. प्रभारी, आई.टी.प्रभाग : सभी कर्मचारियों की जानकारी हेतु इंट्रा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए

Central Pollution Control Board
(Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)
Parivesh Bhawan, East Arjun Nagar,
Delhi – 110032.

GUIDELINES FOR SETTLEMENT OF CLAIMS FOR COMPENSATION ON ACCIDENTS APPLICABLE TO THE CENTRAL POLLUTION CONTROL BOARD (CPCB).

1 **Title:** These guidelines would be called as guidelines for Settlement of Claims for Compensation.

2 **Effective date:** The guidelines would be effective from 01.07.2019.

3 **Applicability:** These guidelines would govern the settlement of compensation claim arising out of accidents resulting into loss of life or permanent disability.

4 **Definitions:**

a) **Accident:** Any death or permanent disability resulting solely and directly from any unintended and unforeseen injurious occurrence caused during the maintenance, operation and provisioning of any public services undertaken by the Central Pollution Control Board (CPCB).

b) **Competent Authority:** Competent Authority means Chairman, Central Pollution Control Board.

c) **Board:** Means Central Pollution Control Board and for the purposes of the present Guidèlines includes, all the Regional Directorates and Project Office of CPCB.

d) **Dependent:** Includes family members as defined in Rule 4(d) of the Central Civil Services (Leave Travel Concession) Rules, 1988.

e) **Designated Officer:** An Officer designated by the Competent Authority of the Grade of Administrative Officer or equivalent for the purposes of receiving and processing claims for compensation under the present Guidelines.

f) **Victim:** Any person who suffers permanent disablement or dies in an accident as defined in these Guidelines.

g) **Permanent Disablement:** A disablement that is classified as a permanent total disablement under the provision to Section 2(l) of The Employee's Compensation Act, 1923.

5. Detailed Accident Report: The report prepared by the police within a period of 30 days from the date of incident as per Schedule of this guidelines.

Explanation: For the purpose of the preparation of the detailed accident report, the word "injury as referred in Schedule –I refer to "permanent disability" as mentioned in clause 4(g) of the Guidelines.

6. **Extent of Liability**: On the occurrence of any "accident" as defined under these Guidelines, the CPCB shall whether or not there has been any wrongful act, neglect or default on its part and notwithstanding anything contained in any other law, be liable to pay compensation to such extent as prescribed below:

(i) In the event of death or permanent disability resulting from loss of both limbs: Rs. 10,00,000/- (Rupees Ten Lakh)
(ii) In the event of other permanent disability: Rs. 7,00,000/- (Rupees Seven Lakh)

7. Procedure for settlement of claims in respect of compensation:

a) The Victim or his/her dependents would make an application within a period of 90 days of the accident to the Designated Officer in CPCB. The application should be accompanied by the following documents:
(i) Proof of age of the victim.
(ii) Death certificate of the victim

OR

Permanent disability certificate issued by the Medical Board authorized by the Government.

(iii) Certified copy of FIR lodged in respect of the accident.

(iv) Proof of applicant's relation with the victim/Dependency Certificate.

The Designated Officer may seek any further documents for settlement of claim to its satisfaction.

Provided that where there are more than one dependents, the applicant must mention their name, addresses and relations with the victim and the Designated Officer may at its own discretion issue notices to all before releasing the compensation.

b) The Designated Officer on receipt of above application shall taking into consideration the Detailed Accident Report submitted by the Police Authority, would process the claim of compensation on priority basis but would not take more than 30 days for disposing off the same in any case.

c) The Designated Officer, in case where no application is received from the victim/dependents of victims, may on receipt of the detailed accident report proceed suo-moto to initiate the process for consideration for grant the compensation to the victim/dependents of victim.

d) With effect from the date of the present Guidelines, all contracts/agreements to be entered into by the CPCB with any person or agency for maintenance, operation and provisioning of public service would invariably include a clause whereby any compensation paid under these guidelines shall be recoverable from such person, agency or firm.

e) In no case a claim for appointment of any of the dependents on the compassionate grounds would be entertained by the Department.

8. Method of Disbursement of compensation:

i. The amount of compensation so awarded shall be deposited in a Nationalized Bank or if the branch of a Nationalized Bank is not in existence, it shall be deposited in the branch of a scheduled commercial bank, in the joint or single name of the victim/dependent(s). Out of the amount so deposited, 75% (seventy-five percent) of the same shall be put in a fixed deposit for a minimum period of one year and the remaining 25% (twenty-five percent) shall be available for utilization and initial expenses by the victim/dependent(s) as the case may be.

SCHEDULE –I

Part- I PARTICULARS OF THE ACCIDENT		
1	FIR No …., Date and Under Section	
2	Name of Police Station	
3	Date Time Place of accident	
4	Who reported the accident to the police	
5	Name of the person who took the victim to the hospital and Name of the hospital	
6	Whether any hospital denied treatment to the Victim?	
7	Nature of the accident: - i) Whether resulted in the death or injury or both? ii) Number of persons injured/died.	
8	Name and Contact No of the investigating Officer	
9	Name of the witnesses of the accident	
10	Description of the accident	

ii. In the case of a minor, 75% of the amount of compensation so awarded shall be deposited in the fixed deposit account and shall be drawn only on attainment of the age of majority, but not before one year of the deposit. Provided that in exceptional cases, amounts may be withdrawn for educational or medical needs of the beneficiary at the discretion of the CPCB.

iii. The interest on the sum shall be credited directly by the bank in the savings account of the victim dependent(s) on monthly basis.

9. Appeal: An appeal against the decision of the Designated Officer in respect of the amount of compensation or rejection of such claim shall be made to Competent Authority within a period of 30 days of receipt of such decision. The Competent Authority would decide the same within 30 days of receipt of such appeal.

Part-II IMPACT OF THE ACCIDENT ON THE VICTIMS		
1	**Death Cases: -** a) Name and Address of the deceased b) Age c) Gender d) Education e) Occupation f) Income (monthly) g) Legal Heirs/Guardian i. Name ii. Relationship iii. Age iv. Address v. Contact No.	

2	**Injury Cases (permanent disablement)** a) Name and address of the injured b) Age c) Gender d) Education e) Occupation f) Income (Monthly) g) Details of family dependent of the victim MLC No. h) Nature of injuries i) Name of the Hospital where the injured treated j) Whether victim refused medical treatment k) Period of hospitalization l) Period of treatment m) Whether treatment continuing n) Name, address and contact number of the doctor (s) who treated the injured o) Whether the injured underwent any surgery? If Yes, then give particulars. p) Whether suffered any permanent disability. q) Expenditure incurred on treatment, conveyance, special diet, attendant etc. Give details, if available. r) Whether the injured got reimbursement of medical expenses from his employer or under a mediclaim policy. Give details, if available. s) Whether the injured was provided cashless treatment by the insurance Company? Give details, if available.	
3	Any other relevant information	

PART-III RELEVANT DOCUMENTS TO BE ATTACHED		
1.	First Information Report	
2.	Photographs of the scene of the accident from all angles	
3.	Statement of the witnesses recorded by the police	
4.	Scientific report, If the Victim was under the influence of any liquor/drugs	
5.	In case of Death a) Post Mortem Report b) Death Certificate c) Photograph and proof of identity of the Dead. d) Proof of legal representatives of the deceased. e) Photograph, specimen, signatures attested by the bank and identity proof of the legal representatives of the deceased. f) Treatment of the deceased with name and address of the Hospital. g) Bank account No. of the legal representatives of the deceased.	
6.	**In case of Injury** a) MLC b) Multi angled photographs of the injured c) Photograph, specimen, signatures attested by the bank and identity proof of the Injured. d) Disability certificate	
7.	Any other relevant information	

VERIFICATION

Verified at ___________on this ___________of ___________ that the contents of the above report are true and correct and the documents mentioned in part III have been verified.

Station House Officer
(Name & Stamp)

Assistant Commissioner of Police
(Name & Stamp)

References:

1. J/o dated 15.04.2009 of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 3483/2008 in the matter of SARLA VERMA Versus DELHI TRANSPORT CORPORTAION
2. J/o Dated 12.07.2011 of Hon'ble Supreme Court of India in Civil Appeal No. 5322/in the matter of DELHI JAL BOARD Versus NATIONAL CAMPAIGN FOR DIGNITY AND RIGHTS OF SEWERAGE AND ALLIED WORKERS
3. J/o dated 12.10.2012 of Hon'ble High Court of Delhi in RFA No. 1/6/2007 and CM Nos. 2924-25/2007 in the matter of UNION OF INDIA versus DYAN SINGH & ORS.
4. Judgment dated 27.11.2014 passed by the Hon'ble Delhi High Court in FAO No. 842/2009 RAJESH TYAGI & ORS, versus RAMESH CHANDRA GUPTA & ANR.

(R.D. Pandey)
Sr. Administrative Officer

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवत्रन मंत्रालय)
परिवेश भवन, अर्जुन नगर,
दिल्ली– 110032.

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के कर्मचारियों पर दुर्घटनाओं के मुआवजे के दावों के निपटारे हेतु लागू होने वाले दिशा-निदेश

1 **शीर्षक:** यें दिशा-निदेश मुआवज़े के दावों का निपटान करने संबंधी दिशानिदेश कहलाएगे।

2 **प्रभावी तिथि:** दिशा-निदेशों 01.07.2019 से प्रभावी होंगे।

3 **प्रयोज्यता:** यें दिशा-निदेशों उन दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले मुआवजे के दावे के निपटान को निर्धारित करेंगे, जिससे जीवन को क्षति/मृत्यु या स्थायी विकलांगता (दिव्यांगता) हो गई हो।

4 **परिभाषाएं:**

क) **दुर्घटना:** केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के कर्मचारियों द्वारा किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं के रखरखाव, संचालन और व्यवस्था के दौरान पूरी और सीधे तरह से किसी भी अनपेक्षित और अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण जीवन को क्षति/मृत्यु या स्थायी विकलांगता (दिव्यांगता) के परिणामस्वरूप उत्पन्न होता है।

ख) **सक्षम प्राधिकारी:** सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

ग) **बोर्ड:** अर्थात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वर्तमान दिशा-निदेशों के प्रयोजनों के लिए, के.प्र.नि.बोर्ड के सभी क्षेत्रीय निदेशालय और परियोजना कार्यालय शामिल हैं।

घ) **आश्रित:** केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी यात्रा रियायत) नियम, 1988 के नियम 4 (डी) में परिभाषित परिवार के सदस्य शामिल हैं।

ङ) **पदनामित अधिकारी:** वर्तमान दिशा-निदेशों के अधीन मुआवजे के लिए दावों को प्राप्त करने और संसाधित करने के प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट प्रशासनिक अधिकारी अथवा समतुल्य ग्रेड का अधिकारी ।

च) **पीड़ित:** कोई भी व्यक्ति जो इन दिशा-निदेशों में परिभाषित दुर्घटना से स्थायी विकलांगता (दिव्यांगता) से पीड़ित है या मर जाता है।

छ) **स्थायी विकलांगता (दिव्यांगता):** एक विकलांगता, जिसे कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 की धारा 2(l) में प्रावधान के तहत एक स्थायी विकलांगता के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

5. विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट: इस दिशा-निदेशों की अनुसूची के अनुसार घटना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर पुलिस द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट।

स्पष्टीकरण: विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट की तैयार करने के उद्देश्य से, शब्द "चोट-जैसा कि अनुसूची-। में स्थायी विकलांगता का संदर्भ में निर्दिष्ट," दिशानिर्देशों के खंड 4 (जी) में उल्लिखित है।

6. देयता का विस्तार: इन दिशा-निदेशों के तहत परिभाषित किसी भी "दुर्घटना" पर, सीपीसीबी यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी ओर से क्या गलत कार्य, उपेक्षा या चूक हुई है अथवा नहीं हुई है और किसी अन्य कानून में निहित होते हुए भी, मुआवजे का भुगतान निम्न अनुसार निर्धारित सीमा तक करने के लिए उत्तरदायी होगा:

(i) मृत्यु अथवा दोनों पैर कटने के परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता की स्थिति में:
रुपये 10,00,000 / - (दस रुपये लाख)

(ii) अन्य स्थायी विकलांगता की स्थिति में: रु. 7,00,000 / - (रुपए सात लाख)

7. मुआवजे के संबंध में दावों के निपटान की प्रक्रिया:

क) पीड़ित या उसके आश्रितों को सीपीसीबी में निर्दिष्ट अधिकारी को दुर्घटना के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। आवेदन में निम्नलिखित दस्तावेज शामिल होने चाहिए:

(i) पीड़ित की उम्र का प्रमाण पत्र ।

(ii) पीड़ित का मृत्यु प्रमाण पत्र ।

अथवा

सरकार द्वारा प्राधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र।

(iii) दुर्घटना के संबंध में दर्ज एफआईआर की प्रमाणित प्रति।

(iv) पीड़ित/आश्रित प्रमाणपत्र सहित आवेदक के संबंध का प्रमाण।

निर्दिष्ट अधिकारी अपनी संतुष्टि के लिए दावे के निपटारे के लिए किसी और दस्तावेज की मांग कर सकता है।

बशर्ते कि जहां एक से अधिक आश्रित हों तो आवेदक को पीड़ित के साथ उनके संबंध, नाम व पते का जरूर उल्लेख करना चाहिए और निर्दिष्ट अधिकारी मुआवज़ा जारी करने से पहले अपने विवेक से सभी को नोटिस जारी कर सकता है।

ख) उपरोक्त आवेदन प्राप्त होने पर निर्दिष्ट अधिकारी पुलिस प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट पर विचार करते हुए, प्राथमिकता के आधार पर मुआवजे के दावे की प्रक्रिया को किसी भी मामले में 30 दिनों के भीतर निपटान करेगा।

ग) निर्दिष्ट अधिकारी, यदि पीड़ित/पीड़ितों के आश्रितों से कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है, तो विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट की प्राप्ति पर स्वत: संज्ञान लेते हुए पीड़ित/पीड़ित के आश्रितों को मुआवजा के भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा।

घ) वर्तमान दिशानिदेशों की प्रभावी तिथि से, सीपीसीबी द्वारा किसी भी व्यक्ति या एजेंसी के साथ सार्वजनिक सेवा के रखरखाव, संचालन और व्यवस्था के लिए सभी अनुबंधों/समझौतों में यह अनुच्छेद अनिवार्य रूप से शामिल होगा कि इन दिशानिर्देशों के तहत किसी भी मुआवजे का भुगतान किया जाता है तो यह ऐसे व्यक्ति, एजेंसी या फर्म से वसूली योग्य होगा।

ड) किसी भी मामले में, विभाग द्वारा अनुकंपा के आधार पर आश्रितों में से किसी की नियुक्ति के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. मुआवज़े के वितरण की विधि:

i. प्रदत्त मुआवजे की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जाएगी या यदि राष्ट्रीयकृत बैंक की किसी शाखा में संभव ना हो, तो यह अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की किसी शाखा में पीड़ित या आश्रित (आश्रितों) के संयुक्त या एकल नाम वाले खाते में जमा की जाएगी। जमा की गई राशि में से 75% (पचहत्तर प्रतिशत) एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए सावधि जमा में डाल दी जाएगी और शेष 25% (पच्चीस प्रतिशत) पीड़ित/ आश्रित (आश्रितों) द्वारा जैसा भी मामला हो के अनुसार उपयोग और प्रारंभिक व्यय हेतु उपलब्ध होगी।

अनुसूची–I

भाग- I दुर्घटना का विवरण		
1	एफआईआर संख्या..., दिनांक और धारा के तहत	
2	पुलिस स्टेशन का नाम	
3	तिथि समय दुर्घटना का स्थान	
4	जिन्होंने दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी	
5	उस व्यक्ति का नाम जो पीड़ित को अस्पताल ले गया और अस्पताल का नाम	
6	क्या किसी भी अस्पताल ने पीड़ित को इलाज से वंचित रखा है?	
7	दुर्घटना की प्रकृति- : i) क्या दुर्घटना के कारण मृत्यु हुई या चोट लगी या दोनों? ii) घायल एवं मरने वालों की संख्या	
8	जांच अधिकारी का नाम एवं संपर्क नंबर	
9	दुर्घटना के गवाहों के नाम	
10	दुर्घटना का वर्णन	

ii. नाबालिग के मामले में, प्रदत्त मुआवजे की राशि का 75% सावधि जमा खाते में जमा किया जाएगा और वयस्कता की आयु प्राप्त करने पर ही निकाला जा सकेगा, लेकिन राशि जमा की गई अवधि के एक वर्ष से पहले नहीं। बशर्ते कि असाधारण मामलों में, सीपीसीबी के विवेकशील निर्णय के अनुसार लाभार्थी की शैक्षिक या चिकित्सा जरूरतों के लिए राशि निकाली जा सकती है।

iii. बैंक द्वारा बचत खाते में जमा राशि पर ब्याज मासिक आधार पर सीधे पीड़ित के आश्रित (आश्रितों) के बचत खाते में जमा किया जाएगा।

9. अपील: निर्दिष्ट अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध मुआवजे की राशि अथवा इस तरह के दावे की अस्वीकृति के संबंध में अपील, इस तरह के निर्णय की प्राप्ति के 30 दिनों की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी ऐसी अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर निर्णय लेगा।

भाग-II पीड़ितों पर दुर्घटना का प्रभाव		
1	**मृत्यु के मामले: -** क) मृतक का नाम और पता ख) आयु ग) लिंग घ) शिक्षा ड) व्यवसाय च) आय (मासिक) छ) कानूनी उत्तराधिकारी/संरक्षक i. नाम ii. संबंध iii. आयु iv. पता v. संपर्क नं.	
2	**घायल होने के मामले (स्थायी विकलांगता)** क) घायल व्यक्ति का नाम और पता ख) आयु ग) लिंग घ) शिक्षा ड) व्यवसाय च) आय (मासिक) छ) पीड़ित पर परिवार के आश्रितों का विवरण एमएलसी नं. ज) चोटों की प्रकृति झ) उस अस्पताल का नाम जहां घायलों का इलाज किया जाता है ञ) क्या पीड़ित ने चिकित्सा उपचार लेने से इनकार कर दिया ट) अस्पताल में भर्ती होने की अवधि ठ) उपचार की अवधि ड) क्या उपचार जारी है ढ) घायलों का इलाज करने वाले डॉक्टर का नाम, पता और संपर्क नंबर ण) क्या घायल की कोई सर्जरी हुई है? यदि हाँ, तो विवरण दें। त) क्या किसी भी स्थायी विकलांगता का सामना करना पड़ा। थ) उपचार, व्यय, विशेष आहार, परिचर आदि पर किया गया व्यय, यदि उपलब्ध हो तो विवरण दें। द) क्या घायल को अपने नियोक्ता से या किसी मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति मिली है। विवरण दें, यदि उपलब्ध हो।	

	ध) क्या घायल को बीमा कंपनी द्वारा कैशलेस उपचार प्रदान किया गया था? विवरण दें, यदि उपलब्ध हो।	
3	अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी	

भाग-III संलग्न किए जाने वाले प्रासंगिक दस्तावेज		
1.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	
2.	सभी कोणों से दुर्घटना के दृश्य की तस्वीरें	
3.	पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों का बयान	
4.	वैज्ञानिक रिपोर्ट, अगर पीड़ित किसी भी शराब/ड्रग्स के प्रभाव में था	
5.	मृत्यु के मामले में क) पोस्ट मार्टम रिपोर्ट ख) मृत्यु प्रमाण पत्र ग) फोटो और मृतकों की पहचान का प्रमाण। घ) मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का प्रमाण। ड) मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों के पहचान पत्र के साथ बैंक द्वारा सत्यापित फोटो, नमूना हस्ताक्षर । च) मृतक को दिया गया उपचार के साथ अस्पताल के नाम और पता । छ) मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों का बैंक खाता नंबर।	
6.	**घायल होने के मामले** क) एमएलसी ख) घायलों की मल्टी एंगल्ड तस्वीरें ग) घायल का पहचान पत्र और बैंक द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ, नमूना हस्ताक्षर । घ) विकलांगता प्रमाण पत्र	
7.	अन्य कोई प्रासंगिक जानकारी	

सत्यापन

.... की .... पर .... में सत्यापित किया जाता है कि उपरोक्त रिपोर्ट की सामग्री सत्य और सही है और भाग III में उल्लिखित दस्तावेजों को सत्यापित किया गया है।

थाना अधिकारी
(नाम एवं स्टैम्प)

पुलिस उपायुक्त
(नाम एवं स्टैम्प)

संदर्भ:

1. सरला वर्मा बनाम दिल्ली परिवहन निगम के मामले में दायर सिविल अपील सं. 3483/2008 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 15.04.2009 का न्यायायिक आदेश
2. दिल्ली जल बोर्ड बनाम राष्ट्रीय सीवरेज एवं संबंद्ध श्रमिक गरिमा एवं अधिकार अभियान के मामले में दायर सिविल अपील सं. 5322 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का दिनांक 12.07.2011 का न्यायायिक आदेश
3. भारतीय संघ बनाम ध्यान सिंह एवं अन्य के मामले में दायर आर.ए.एफ सं. 1/6/2007 और सीएम सं. 2924-25/2007 में माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 12.10.2012 का न्यायायिक आदेश
4. राजेश त्यागी एवं अन्य बनाम रमेश चंद्र गुप्ता एवं अन्य के मामले में दायर एफएओ नं. 842/2009 में जारी माननीय उच्च न्यायालय का दिनांक 27.11.2014 का न्यायायिक आदेश

(आर.डी पांडे)
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी